वित्तीय विवरण
2017-18

- विशिष्ट लेखाकरण नीतियां 2017–18
- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2017–2018

1 सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ विनिर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल 2016 से भारतीय लेखाकरण मानक अनिवार्य कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल के वित्तीय विवरण 01 अप्रैल 2016 से प्रभावी भारतीय लेखाकरण मानक के अनुपालन में तैयार किए गए है।

2 अनुमान एवं पूर्वानुमान

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीएंडई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को 'स्टोर्स एवं स्पेयर्स'के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनापेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग

पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं / प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान / दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4 चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति सह उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में **कर्मचारी हित लाभ**, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं / पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5 अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों को लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता

है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6 विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभिक रूप से लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

6.3 मौद्रिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में आय अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

7 उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1 – समरुप परिसंपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार की बाजार कीमत (असमायोजित) लगाना।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य है।

स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8 संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं–

1.) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2.) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लेन–देन लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन–देन लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेन–देन कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेन–देन कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनकी लेन–देन कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9 माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर परिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10 वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित लेन–देन लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (लेन–देन लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 **अमान्य करना :** किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

11 सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र / प्रादेशिक / अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान / सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

12 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन / निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

13 राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली / वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

13.3 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हों, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.4 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित / अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन / गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्रों के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित / अनुमोदित / सहमत नहीं है, प्रोत्साहन / गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.5 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.6 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.7 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार के इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत देय नहीं माना गया और तद्नुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.8 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.9 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.10 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

14 व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

15 कर्मचारी हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हों) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

16 ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे–जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

17 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

18 माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति को क्षति चिन्हित किया जाता है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

19 आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से

आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

19.1 **वर्तमान आयकर** – आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, वे भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें लेन–देन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्र आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्र आय या इक्विटी में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन होता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जहां निवल आधार पर शेष के समायोजन की मंशा हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक को प्रभावित करती है।

20 नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्याधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात

राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21 प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण – कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/ अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

22 दर विनियमित गतिविधियां – विनियामक आस्थगित खाता शेष

22.1 दर विनियमित गतिविधियों से जो विनियामक आस्थगित लेखे शेष रहते हैं भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 114 उनके लेखे को विनिर्दिष्ट करता है। ये मानक केवल पहली बार उन ग्राह्यताओं को सुलभ हैं जो अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को मान्य करते हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) पहली बार के पात्र ग्राह्यताओं को उनकी पिछली जीएएपी दर विनियामक नीतियों को सीमित परिवर्तन के साथ जारी रखने तथा वित्तीय स्थिति विवरण तथा लाभ या हानि विवरण में अलग से अपेक्षित प्रस्तुतीकरण तथा विनियामक आस्थगित लेखा शेष तथा व्यापक आय की अनुमति देता है। इसका पालन किया गया।

23 लाभांश वितरण

23.1 कंपनी के अंशधारियों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया जाता है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

24 सेगमेंट रिपोर्टिंग

24.1 विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस)–108– 'प्रचालन सेगमेंट' के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्श कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	1		7,32,768		7,80,642
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2		3,94,994		3,03,496
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	1		33		45
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2		33		33
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	3	4,483		4,694	
(ii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4	1,582	6,065	1,881	6,575
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5		76,219		70,941
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	6		69,965		91,914
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	7		3,000		3,264
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) प्राप्य व्यापार	8	1,30,726		1,73,228	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	9	6,102		6,707	
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बकाया	10	37		25,037	
(iv) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	11	4,578		4,305	
(v) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12	167	1,41,610	179	2,09,456
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13		9,047		8,107
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14		5,983		6,322
जोड़			**14,39,717**		**14,80,795**
इक्विटी एवं देयताएं					
इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	3,62,743		3,59,888	
ख) अन्य इक्विटी		4,88,384	8,51,127	4,50,193	8,10,081
गैर चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) दीर्घकालिक ऋण	16	2,41,530		4,04,185	

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	17	2,200		934	
(iii) अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां	18	284	2,44,014	220	4,05,339
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	19		97,907		1,04,729
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20		35,087		38,970
चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) अल्पकालिक ऋण	21	64,663		38,724	
(ii) व्यापार देयताएं	22	53		41	
(iii) अन्य चालू देनदारियां	23	1,21,422	1,86,138	68,815	1,07,580
ख) अन्य चालू देनदारियां	24		4,429		3,749
ग) अल्पकालिक प्रावधान	25		21,015		10,347
घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	26		0		0
जोड़			**14,39,717**		**14,80,795**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	27		2,19,064		2,09,474
अन्य आय	28		3,809		14,123
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		6,822		6,531	
घटाएं : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	1	6,822	0	6,531	0
कुल राजस्व			**2,22,873**		**2,23,597**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	29		30,649		25,425
वित्त लागत	30		22,787		29,106
मूल्यह्रास और परिशोधन	1		57,452		52,557
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	31		20,342		19,513
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	32		0		445
कुल व्यय			**1,31,230**		**1,27,046**
असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**91,643**		**96,551**
असाधारण मदें–(आय)/व्यय–निवल			554		16,146
कर पूर्व लाभ			**91,089**		**80,405**
कर व्यय	**33**				
चालू कर					
आयकर			19,056		17,154
आस्थगित कर–परिसंपत्ति			(5,083)		(8,142)
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**77,116**		**71,393**
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी :					
परिभाषित हित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	34		563		(414)
परिभाषित हितलाभ योजनाएं–आस्थगित कर परिसंपत्ति			195		144

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य बृहत् आय			**758**		**(270)**
कुल बृहत् आय (I+II)			**77,874**		**71,123**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
(लगातार प्रचालनों के लिए)					
बेसिक (रु.)			215.24		198.86
डायल्यूटिड (रु.)			215.23		198.86

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख रु. में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजन				
एवं असाधारण मदें		**91,643**		**96,551**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	57,452		52,574	
मूल्यह्रास–सिंचाई भाग	@6,822		6,531	
प्रावधान	-	-	445	
ऋणों पर ब्याज	22,787		29,106	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	563		(414)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	317		117	
असाधारण मदें	(554)	87,387	(16,146)	72,213
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,79,030**		**1,68,764**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-				
माल सूची	264		(76)	
प्राप्य व्यापार	42,502		33,970	
अन्य परिसंपत्तियां	655		(428)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान+गैर चालू)	(1,002)		(4,387)	
व्यापार देय और देनदारियां	(15,973)		2,482	
प्रावधान (वर्तमान+गैर चालू)	6,785	33,231	(3,999)	27,562
कर पूर्व प्रचालनों से प्राप्त नगदी प्रवाह		**2,12,261**		**1,96,326**
कारपोरेट कर		(19,056)		(17,154)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,93,205**		**1,79,172**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन				
संपत्ति प्लांट एवं पुर्जे तथा सीडब्ल्यूआईपी	(1,07,886)		(1,51,762)	
पूंजी अग्रिम	21,944		(30,092)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(85,942)**		**(1,81,854)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	3,200		4,000	
उधारियां	(98,875)		53,465	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(22,787)		(29,106)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(40,345)		(36,575)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(1,58,807)**		**(8,216)**

राशि लाख रु. में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		(51,544)		(10,898)
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		(6,980)		3,918
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ड.)		(58,524)		(6,980)

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख रू. (गत वर्ष में 25037 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनःव्यवस्थित / पुनः दर्शित किया गया है।
3. नगदी और नगदी समकक्ष का मिलान नोट सं. 37.19 (क) में कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख रू. में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,59,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		2,855
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,62,743**

ख. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख रू. में

			01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष		**0**	**4,49,160**	**1,500**	**(467)**	**4,50,193**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35		(317)			(317)
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**4,49,477**	**1,500**	**(467)**	**4,50,510**
वर्ष के लिए लाभ			77,116			77,116
अन्य बृहत् आय					758	758
कुल बृहत् आय			**77,116**		**758**	**77,874**
लाभांश			33,521			33,521
लाभांश पर कर			6,824			6,824
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**36,771**			**37,529**
डिबेंचर मोचन आरक्षित (III) को स्थानान्तरित			(1,500)			(1,500)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				1,500		1,500
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी आबंटन जमा/आबंटित (V)		345				345
अंतिम शेष (I+II+III-IV+V)		**345**	**4,84,748**	**3,000**	**291**	**4,88,384**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांक: 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

टिप्पणी:- 1

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2018 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क–संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	3,905	-	-	3,905	196	186	-	382	3,523	3,709
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,813	12	-	3,825	-	-	-	-	3,825	3,813
3. जलमग्न भूमि	1,60,625	4,444	-	1,65,069	48,165	7,386	-	55,551	1,09,518	1,12,460
4. भवन	83,298	5,749	(2)	89,045	17,670	3,113	258	21,041	68,004	65,628
5. अस्थायी भवन ढांचे	1,153	1,207	-	2,360	1,153	1,197	10	2,360	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,908	2,126	-	16,034	2,749	520	9	3,278	12,756	11,159
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,541	599	-	2,140	576	89	-	665	1,475	965
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,114	35	-	2,149	1,234	56	-	1,290	859	880
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,04,979	366	(434)	3,04,911	1,00,210	16,835	-	1,17,045	1,87,866	2,04,769
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,412	48	(42)	1,418	950	188	(34)	1,104	314	462
11. विद्युत संस्थापनाएं	4,166	404	-	4,570	428	242	-	670	3,900	3,738
12. पारेषण लाइनें	2,436	25	-	2,461	915	127	-	1,042	1,419	1,521
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	5,293	397	(15)	5,675	2,252	320	(11)	2,561	3,114	3,041
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,313	182	(5)	2,490	928	144	(3)	1,069	1,421	1,385
15. वाहन	1,407	156	(17)	1,546	689	83	(7)	765	781	718
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	37	4	-	41	81	85
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,14,730	3,472	(12)	5,18,190	2,22,889	28,505	-	2,51,394	2,66,796	2,91,841
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,878	141	(39)	1,39,980	65,443	7,433	-	72,876	67,104	74,435
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय / अप्रचलित आस्तियां	33	-	(21)	12	-	-	-	-	12	33
उप जोड़	**12,47,126**	**19,363**	**(587)**	**12,65,902**	**4,66,484**	**66,428**	**222**	**5,33,134**	**7,32,768**	**7,80,642**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,59,549**	**88,335**	**(758)**	**12,47,126**	**4,07,151**	**59,817**	**(484)**	**4,66,484**	**7,80,642**	**7,52,398**
ख–अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	395	2	-	397	350	14	-	364	33	45
उप जोड़	**395**	**2**	**-**	**397**	**350**	**14**	**-**	**364**	**33**	**45**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**393**	**2**	**-**	**395**	**331**	**19**	**-**	**350**	**45**	**62**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		पूर्व वर्ष			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					2,168		748			
पीएंडएल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास					57,452		52,557			
पीएंडएल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास– उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					6,822	66,442	6,531	59,836		
वर्ष के दौरान रू.1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					10		19			

1.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4x100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि को 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

1.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य प्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

टिप्पणी :–2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख रु. में

विवरण	31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर					31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2017 की स्थित अनुसार	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान वृद्धि	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान समायोजन	वर्ष 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		6,366	6,321	324	(5,489)	7,522
सड़क, पुल तथा पुलिया		1,061	1,588	14	(1,827)	836
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		275	315	-	(590)	-
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		98,446	20,719	-	(233)	1,18,932
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		1,79,784	42,702	(143)	(4,243)	2,18,100
जलागम क्षेत्र वनीकरण		923	264	-	-	1,187
विद्युत संस्थान तथा उपकेन्द्र उपकरण		37	72	-	(21)	88
कोयल खान का विकास		0	3,761	0	0	3,761
अन्य		103	504	-	(482)	125
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,772	16	-	-	9,788
निर्माण के दौरान व्यय	26.1	2,370	4,024	(2,370)		4,024
पुनर्वास व्यय						
पुनर्वास व्यय		4,359	28,535	-	(2,263)	30,631
घटाए : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		-	-	-	-	-
जोड़		**3,03,496**	**1,08,821**	**(2,175)**	**(15,148)**	**3,94,994**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**2,39,066**	**1,50,323**	**(2,493)**	**(83,400)**	**3,03,496**
ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर						
अमूर्त–परिसंपत्तियां विकासाधीन		33	0	0	0	33
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**

2.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और ढुकवाँ आदि जैसी निरंतर निर्माणाधीन परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी :– 3

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,490		2,690	
अप्रतिभूत		717		1,072	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,674		2,580	
अप्रतिभूत		183		232	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**6,064**		**6,574**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1,582	4,482	1,881	4,693
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		1		1	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		0	0	0	0
जमा राशियां					
अन्य जमा राशियां		0	0	0	0
उप जोड़			**4,483**		**4,694**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़–अग्रिम			**4,483**		**4,694**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,483**		**4,694**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		1		1	
जोड		**1**		**1**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		2		5	
ब्याज		1		9	
जोड़		**3**		**14**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1	2	2	12

टिप्पणी : 4

अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,582		1,881
जोड़			**1,582**		**1,881**

टिप्पणी : 5

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		85,507	82,532	80,229	77,254
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**76,219**		**70,941**

टिप्पणी : 6

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय		35		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	35	0	40
उप जोड़			**35**		**40**
अग्रिम पूंजी					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के विरूद्ध (62701 लाख रु. की बैंक गारंटी के लिए)		52,764		44,532	
ii) पुनर्वास/पनर्स्थापना (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		3,012		29,981	
iii) अन्य		26,546		29,790	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		10	82,332	63	1,04,366
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,402		12,492
उप जोड़ – पूंजी अग्रिम			**69,930**		**91,874**
जोड़			**69,965**		**91,914**

टिप्पणी : 7

माल सामग्री

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
माल सामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		111		297	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,697		2,772	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		213		217	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		1	3,022	0	3,286
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			22		22
जोड़			**3,000**		**3,264**

टिप्पणी :– 8

व्यापार प्राप्य

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		15,773		1,02,886	
संदिग्ध समझे गए		18,476	34,249	20,776	1,23,662
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			18,476		20,776
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		70,092		40,199	
संदिग्ध समझे गए		0	70,092	0	40,199
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		44,861		30,143	
संदिग्ध समझे गए		2,201	47,062	2,201	32,344
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		2,201
जोड़			**1,30,726**		**1,73,228**

8.1 व्यापार प्राप्य में रू. 47062 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 76584 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू.29522 लाख) पूर्व वर्ष रू. 32344 लाख (विनियामक परिसंपत्ति रू. 61866 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू. 29522 लाख), शामिल हैं।

8.2 व्यापार प्राप्य में 849 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य) में वह राजस्व भी शामिल है जिसे लेखे में शामिल किया गया है।

टिप्पणी : 9

नकद एवं बैंक शेष

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
नकद एवं नकद समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			6,094		6,700
हाथ में चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्पस			8		7
जोड़			**6,102**		**6,707**

टिप्पणी : 10

नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष)			37		25,037
जोड़			**37**		**25,037**

टिप्पणी :– 11

लघुवधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारी का ऋण					
प्रतिभूत		799		774	
अप्रतिभूत		253		315	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		163		138	
अप्रतिभूत		1		1	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,216**		**1,228**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		167	1,049	178	1,050
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		0	
अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**1**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	0
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		0	0	2	2
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		273		273	
अन्य के लिए		35	308	35	308
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		687		412	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,534		2,534	
अन्य जमा राशियां		7	3,228	7	2,953
उप जोड़			**4,586**		**4,313**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**4,578**		**4,305**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,578**		**4,305**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		1		0	
जोड़		**1**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	0
टिप्पणी: अधिकारी द्वारा देय					
मूलधन		1		1	
ब्याज		0		1	
जोड़		**1**		**2**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	2

टिप्पणी : 12

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			167		179
जोड़			**167**		**179**

टिप्पणी : 13

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			9,047		8,107
जोड़			**9,047**		**8,107**

टिप्पणी: 14

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय			3,119		3,027
उपार्जित ब्याज			28		22
उप जोड़			**3,147**		**3,049**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			25		7
खरीद के लिए			1,211		1,591
अन्य को			1,600		1,675
उप जोड़ – अन्य अग्रिम			**2,836**		**3,273**
जोड़			**5,983**		**6,322**

टिप्पणी : 15

शेयर पूंजी

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,62,74,317	3,62,743	3,59,88,817	3,59,888
1000/–रु. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,62,74,317**	**3,62,743**	**3,59,88,817**	**3,59,888**

15.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 25610 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

टिप्पणी 15.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,69,24,917	74.23	2,66,39,417	74.02
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	25.77	93,49,400	25.98
कुल		**3,62,74,317**	**100.00**	**3,59,88,817**	**100.00**

टिप्पणी 15.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,59,88,817	3,59,888	3,55,88,817	3,55,888
निर्गत		2,85,500	2,855	4,00,000	4,000
अंतिम		**3,62,74,317**	**3,62,743**	**3,59,88,817**	**3,59,888**

टिप्पणीः– 16

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
क. बॉंड्स					
बॉंड्स इश्यू सं. 1– प्रतिभूत*					
(प्रत्येक रू. 1000000/– के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तिनीय बॉंड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		60,000
जोड़ (क)			**60,000**		**60,000**
ख. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)-78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए) **					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			40,625		49,653
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) -78302002 (केएचईपी के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			32,175		43,875
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए–जीई–पीएसयू-033-2010-3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			22,774		29,781
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)-330001- (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 9.35 प्रतिशत प्रति वर्ष लागू)			28,554		38,072
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)-32677052247 (टिहरी पीएसपी के लिए) ##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर / आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 9.20 प्रतिशत)			0		1,22,765
जोड़ (ख)			**1,24,128**		**2,84,146**

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
ग. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) विश्व बैंक ऋण -8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए) (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय, ब्याज दर/एल आई बी ओ आर+आई भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 2.28 प्रतिशत)			57,402		60,039
जोड़ (ग)			**57,402**		**60,039**
कुल (क+ख+ग)			**2,41,530**		**4,04,185**

** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

*टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/सममूल्य प्रभार बांड सुरक्षित है।

वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी: 17

गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघुउद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		0	0	0	0
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		2,484		1,154	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		284	2,200	220	934
जोड़			**2,200**		**934**

टिप्पणी: 18

अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			284		220
कुल			**284**		**220**

टिप्पणी: 19

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018 की स्थिति अनुसार		31.03.2017 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व					
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार		21,271		21,271	
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		0	21,271	0	21,271
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:-					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		67,482	76,636	60,660	83,458
अन्य देनदारियां			0		0
जोड़			**97,907**		**1,04,729**

टिप्पणी: 20

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख रु. में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		38,655	4,026	(2,390)	(6,173)	34,118
II. अन्य		315	703	0	(49)	969
कुल		**38,970**	**4,729**	**(2,390)**	**(6,222)**	**35,087**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**32,733**	**6,878**	**(494)**	**(147)**	**38,970**

20.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 21

लघुवधि उधार

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*					
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार पर एक वर्ष के लिए एमसीएलआर अर्थात 8.45%)			64,663		38,724
कुल			**64,663**		**38,724**

*परियोजना स्थल पर मशीनरी स्टेयर्स, औजार एवं अनुषंगियों, इंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रु. 64663 लाख का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी :– 22

देय व्यापार

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
देय व्यापार–एमएसएमईडी			0		0
देय व्यापार–एमएसएमईडी से भिन्न अन्य			53		41
कुल			**53**		**41**

टिप्पणी: 23

अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वता					
क. प्रतिभूत* (भारतीय मुद्रा में ऋण)			98,618		37,503
कुल (क)			**98,618**		**37,503**
ख. अप्रतिभूत **			2,665		0
कुल (ख)			**2,665**		**0**
कुल			**1,01,283**		**37,503**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		41		1	
अन्य के लिए		7,401	7,442	19,419	19,420
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		7,165		5,232	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	7,165	0	5,232
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0
उपार्जित ब्याज पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		5,532		6,660	
अन्य देनदारियां		0	5,532	0	6,660
कुल			**20,139**		**31,312**
कुल देनदारियां			**1,21,422**		**68,815**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–16 में दिए गए है।

टिप्पणी :– 24

अन्य चालू देयताएं

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
देयताएं					
अन्य देयताएं			4,429		3,749
योग			**4,429**		**3,749**

टिप्पणी: 25

लघु अवधि प्रावधान

राशि लाख रु. में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	**टिप्पणी सं.**	**01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार**	**वृद्धि**	**समायोजन**	**उपयोग**	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**
I. कार्य		405	345	(3)	(112)	635
II. कर्मचारियों से संबंधित		8,508	14,910	(817)	(3,740)	18,861
III. अन्य		1,434	602	(113)	(404)	1,519
जोड़		**10,347**	**15,857**	**(933)**	**(4,256)**	**21,015**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**20,583**	**10,032**	**(15,015)**	**(5,253)**	**10,347**

25.1 कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.14 में कर दिया गया है।

टिप्पणी : 26

चालू कर देयता (निवल)

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
आय कर					
अथ शेष			0		0
अवधि के दौरान वृद्धि			9,696		15,156
अवधि के दौरान समायोजन			(3,730)		(6,330)
अवधि के दौरान उपयोग			(5,966)		(8,826)
अंतिम शेष			**0**		**0**

टिप्पणी : 26.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	29				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		10,656		10,917	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		730		633	
पेंशन निधि		360		541	
उपदान		380		1,659	
कल्याण		205		134	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		36	12,367	44	13,928
अन्य व्यय	31				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		67		72	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		299	366	295	367
दर एवं कर			11		28
विद्युत एवं ईंधन			623		576
बीमा			33		35
संचार			168		80
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		5		3	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		0	
भवन		641		29	
अन्य		228	874	140	172
यात्रा एवं वाहन			178		241
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			528		358
सुरक्षा			437		98
प्रचार तथा जनसंपर्क			37		46
अन्य सामान्य व्यय			1,935		929
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1		3
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			99		0
प्रतिभूत जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिधारण राशि			149		89
मूल्यह्रास	1		2,168		748
कुल व्यय (क)			**19,974**		**17,698**

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
प्राप्तियां					
अन्य आय	28				
ब्याज					
बैंक जमा से		3		5	
कर्मचारियों से		98		114	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम:					
प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		36		44	
अन्य से		4	141	3	166
मशीन किराया प्रभार			0		15
किराया प्राप्तियां			70		49
विविध प्राप्तियां			80		50
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			219		22
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		1
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			149		89
कुल प्राप्तियां (ख)			**659**		**392**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**19,315**		**17,306**
कराधान के लिए प्रावधान	33				
कराधान सहित निवल व्यय			**19,315**		**17,306**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें	35		**136**		**(73)**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	34		**113**		**(131)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,370		854
कुल ईडीसी			**21,708**		**18,218**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति को आबंटित ईडीसी		17,292		15,358	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		393	17,685	490	15,848
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**4,023**		**2,370**

टिप्पणी : 27

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,15,963		2,07,903	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,15,963	0	2,07,903
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			2,887		1,419
परामर्श से आय			214		152
योग			**2,19,064**		**2,09,474**

27.1 माननीय सीईआरसी ने 2009–14 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया है और उसी आधार पर दिनांक 20.03.17, 29.03.2017 और 05.12.2017 के आदेशों द्वारा वर्ष 2014–19 के लिए प्रशुल्क को मंजूरी दे दी है।
इस आदेश के फलस्वरुप पिछले वर्षों की राशि (–) 555 लाख रु. को आसाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है। उक्त आदेश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2017–18 के लिए राजस्व के अनुमत्य किया गया।

टिप्पणी :– 28

अन्य आय

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 103081.00 शामिल है, पिछले वर्ष 93266.00 रू.)		210		255	
कर्मचारियों से		351		395	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		391		426	
अन्य		10	962	326	1,402
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			6		15
किराया प्राप्तियां			135		117
विविध प्राप्तियां			324		569
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			2,886		12,297
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			41		7
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			114		108
जोड़			**4,468**		**14,515**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		659		392
जोड़			**3,809**		**14,123**

टिप्पणी :– 29

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			35,770		31,506
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			2,523		2,056
पेंशन निधि			1,343		1,770
उपदान			2,003		3,100
कल्याण व्यय			986		495
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			391		426
जोड़			**43,016**		**39,353**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		12,367		13,928
योग			**30,649**		**25,425**

टिप्पणी :– 30

वित्तीय लागत

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बॉंड निर्गम श्रृखला 1 पर ब्याज			4,554		2,246
ऋणों पर ब्याज			32,805		40,358
जोड़			**37,359**		**42,604**
घटाएं:-					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			14,572		13,498
जोड़			**22,787**		**29,106**

टिप्पणीः– 31

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		185		174	
कर्मचारी आवास किराया		699	884	698	872
दर एवं कर			183		187
विद्युत एवं ईंधन			1,756		1,745
बीमा			2,252		2,056
संचार			381		363
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,803		1,529	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		917		519	
भवन		1,350		1,105	
अन्य		2,611	6,681	2,265	5,418
यात्रा एवं वाहन			637		632
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,378		1,211
सुरक्षा			4,171		3,264
प्रचार तथा जनसंपर्क			296		303
अन्य सामान्य व्यय			4,282		3,383
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			17		72
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			508		490
अनुसंधान और विकास			238		434
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			1		84
निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,620		1,528
ग्राहकों को छूट			382		385
सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के खाते पर प्रतिधारण राशि			114		108
जोड़			**25,781**		**22,535**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		5,439		3,022
जोड़			**20,342**		**19,513**

टिप्पणी :– 32

प्रावधान

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		443
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			0		2
जोड़			**0**		**445**
घटाएं:-					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
जोड़			**0**		**445**

टिप्पणी :– 33

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			19,056		17,154
उप जोड़			19,056		17,154
कुल			19,056		17,154

टिप्पणी :– 34

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख रु. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			676		(545)
उप जोड़			676		(545)
घटाएं:-					
ईडीसी को अंतरित	26.1		113		(131)
जोड़			563		(414)

टिप्पणी :– 35

लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख रू. में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	
पूर्व अवधि आय					
विविध प्राप्ति		280	280	3	3
पूर्व अवधि व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण		(141)		(215)	
अन्य सामान्य व्यय		9		0	
मूल्यह्रास		277		28	
विविध–अन्य		(46)	99	0	(187)
उप जोड़			**(181)**		**(190)**
घटाएं:- ईडीसी को अंतरित	26.1		136		(73)
जोड़			**(317)**		**(117)**

36.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रहा है।

i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य) और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकदी तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम न हो।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम और
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियाँ, जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम – वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम – वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल : कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पाँच घटक होते हैं :

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूँजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता और कर भी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से वसूलनीय होते हैं, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं, मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएँ तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएँ प्रशुल्क से वसूलनीय होते है और कंपनी की लाभप्रदता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती है और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पी.एस.यू. डिस्काम होते हैं।
3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2014–19, कंपनी को लाभग्राहियों से देरी से किए गए भुगतान के लिए बिल जारी करने की अनुमति देता है जिससे भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देरी से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

5. कंपनी, प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार कर सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्तियों का मूल्यांकन करती है और मामला– दर मामला आधार पर संभावित उधार– हानि के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट करने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्तियों की वसूली न होने के कारण किसी चूक की परिकल्पना नहीं करती है।

36.2 एमसीए द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है :

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	• वित्तीय विवरणों को इंड एएस की अनुवर्ती अनुसूची– ।।। के अनुसार तैयार किया गया है। • वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित सभी सूचनाओं का खुलासा किया गया है। • सूचनाएं अन्यत्र कहीं प्रस्तुत नहीं की गई जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए भी प्रासंगिक है उसका खुलासा किया गया है।
इंड एएस 2	माल सूची	कंपनी जल, पवन और सौर विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। इस प्रकार इसमें कोई कच्चा माल या डब्ल्यू आई पी नहीं होता है, हालांकि उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
इंड एएस 7	नकदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय विवरणों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया जा रहा है, जैसा कि इंड एएस 7 के पैरा 18 (ख) में परिभाषित किया गया है और उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 20 में बताया गया है। • इंड एस– 7 में एमसी.ए द्वारा जारी अधिसूचना में संसूचित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए अतिरिक्त प्रकटनों में उन सभी वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया गया है जो नकदी प्रवाह विवरणों में दर्शाई गई हैं।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	• लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव और त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्य किया जाता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें यह अव्यवहारिक हों। • अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को भविष्य लक्षी रूप से लेखांकित किया जाता है। • इक्विटी और उससे संबंधित टिप्पणियों में परिवर्तन विवरण में असाधारण मदें/व्यय तथा पूर्व अवधि मदों (आय–व्यय) का खुलासा किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	• तुलन पत्र की तिथि के बाद ऐसी कोई मुख्य रिपोर्ट योग्य योग्य घटना नहीं घट रही है। • इंड एएस 10 के अनुसार, भुगतान के वर्ष में लाभांश को लेखा में लिया जा चुका है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 11	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	कंपनी न तो निर्माण व्यापार में है और न ही रिपोर्टिंग अवधि में कोई निर्माण अनुबंध किया है। अतः यह मानक लागू नहीं होता।
इंड एएस 12	आय कर	आस्थगित कर की गणना एएस प्रावधानों के अनुपालन में तुलन पत्र दृष्टिकोण के अनुसार की गई है। • वर्ष 2016–17 के दौरान 5278 लाख रू. की आस्थगित कर संपत्तियों का लेखांकन किया गया।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	• कंपनी ने वर्ष 2016–17 के एएस 101 के तहत छूट को अग्रेनीत किया है। • इंड एएस को संक्रमण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर युक्त परिसंपत्ति के रखाव– मूल्य से उचित माना गया है यह मानते हुए कि मानित रखाव– लागत इंड एएस 101 के अनुपालन में है। • पीपीएंडई की परिभाषा को पूरी करने वाली मालसूची को पीपीएंडई के रूप में मान्य किया गया है और उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रास किया गया है।
इंड एएस 17	पट्टे	• कंपनी के पास वित्तीय पट्टे वाली कोई संपत्ति नहीं है। • आपरेटिंग लीज लेनदेन का खुलासा किया गया है और इसे खर्च के रूप में माना गया है।
इंड एएस 18	राजस्व	कंपनी सीआरईसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ विनियमों के आधार पर निर्धारित सीआरईसी और एएफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ के आधार पर बिक्री राजस्व को मान्यता देती हैं। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 13.1 से 13.10 तक राजस्व मान्यता तंत्र की जानकारी देती है जिसे कंपनी द्वारा अपनाया गया है। इंड एएस 18 का मानक 01 अप्रैल, 2018 को समाप्त हो गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	• परिभाषित योगदान योजना के तहत कंपनी अंशदायी भविष्य निधि और अधिवर्षिता पेंशन फंड में अंशदान दे रही है। • उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी निर्धारित लाभ योजना के तहत, ग्रेच्यूटी, अर्जित छुट्टी, पीआरएमबी (पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ) पोस्ट सेवानिवृत्ति सामान भत्ते का भी भुगतान कर रही है। • कर्मचारियों के लाभों का वास्तविक मूल्यांकन किया गया और इंड एएस 19 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन	उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई के घटक के रूप में प्राप्त राशि, इंड एएस 20 के अनुसार खातों में मान्य की गई है, विवरण का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 के माध्यम से प्रकटन किया गया है। मानक के अनुसार आस्थगित आय के रूप में इसे मान्य किया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 21	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित लेखांकन नीतियों का लेखांकन नीति सं. 6.1 से 6.3 के तहत प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी ने इंड एएस 23 के अनुसार दीर्घावधि संपत्तियों पर उधारी लागत का पूंजीकरण कर दिया है। विवरण को लेखांकन नीति सं. 16.1 से 16.2 में स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 24	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	सेवा–टीएचडीसी को सीएसआर गतिविधियों और निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान का विवरण इंड एएस–24 के द्वारा प्रकट किया गया है ।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	कंपनी के पास कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है। वर्तमान प्रश्नगत मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 28	सहयोग और संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी के किसी सहयोग/संयुक्त उद्यम में कोई निवेश नहीं है, वर्तमान में प्रश्नगत मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 29	अति स्फीति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधन प्रस्तुति	• अभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय रूप में विभाजित किया गया है। • वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा गया है। • जहां भी लागू हो, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को अधिक मूल्य दिया गया है। • उचित मूल्य लाभ/नुकसान को परिसंपत्तियों के जीवन पर परिशोधित कर दिया गया है।
इंड एएस 33	प्रति शेयर अर्जन	कंपनी ने संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं, अतः मूल और डाइल्यूटेड ई पी एस दोनों ही सामान्य हैं तथा लाभ और हानि के विवरण में इसका समुचित प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार के माध्यम से धन जुटाया है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हुई है। एल ओडीआर के अनुसार अर्धवार्षिक अंतरिम वित्तीय एक सुशासन के रूप में टीएचडीसीआईएल अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी कर रहा है।
इंड एएस 36	परिसंपत्तियों को हानि	वर्ष के दौरान परिसंपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, प्रबंधन ने हानि की कसौटी की समीक्षा मानक में दिए अनुसार की है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा परिसंपत्तियां	• नकदी बर्हिगमन की निश्चितता तथा घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के आधार पर प्रबंधन अनुमानों के अनुसार पर समुचित देनदारियों की व्यवस्था की गई। • अन्य मामलों में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। • वर्ष के दौरान कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 5.1 से 5.4 के स्पष्टीकरण के अनुसार इसके उपयोगी जीवन काल के बाद लागत परिशोधित की जाती है।
इंड एएस 40	निवेशित संपत्ति	कंपनी के पास निवेशित संपत्ति जैसी कोई परिसंपत्ति नहीं है। अतः मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	लागू नहीं
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानव का पहली बार अपनाया जाना	• इंड एएस 101 में निर्धारित दिशा–निर्देशों और सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए। • कंपनी ने इंड एएस 101 में उपलब्ध निम्नलिखित छूट (भूतलक्षी प्रभाव से नहीं) का लाभ स्वीकार किया। क. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन ख. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि ग. अनुमान घ. मानित लागत च. पूर्व मान्य वित्तीय लिखतों का अभिदान छ. वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य मापन ज. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की लागत में विसंस्थापन देनदारियां शामिल हैं। झ. उधारी लागत
इंड एएस 102	शेयर आधारित लागत	लागू नहीं
इंड एएस 103	मिला–जुला व्यवसाय	लागू नहीं
इंड एएस 104	बीमा संविदाएं	लागू नहीं
इंड एएस 105	बिक्री हेतु पुरानी परिसंपत्तियां और बंद प्रचालन	वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नही हुई। अतः किसी प्रकटन की जरूरत नहीं।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों का उत्खनन और मूल्यांकन	लागू नहीं
इंड एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटन	यथानिर्धारित सूचना का समुचित रूप से प्रकटन
इंड एएस 108	प्रचालनीय खंड	कंपनी का मुख्य कार्य जल विद्युत उत्पादन एवं विक्रय है तथा इससे लगभग 98% सकल विक्रय राजस्व प्राप्त होता है। कंपनी ने हाल ही में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पर्दापण किया है। यह इंड एएस 108 के पैरा 13 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसलिए वित्तीय विवरणों को एकल खंड के रूप में तैयार किया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 109	वित्तीय लिखतें	वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत से मापा जाता है क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां दोनों ही मानक के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करते हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 से 10 में ब्यौरे को स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं
इंड एएस 111	संयुक्त अनुबंध	लागू नहीं
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में रूचि का प्रकटन	लागू नहीं
इंड एएस 113	उचित मूल्य मापन	कंपनी ने सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य मापन के लिए इंड एएस के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को इस्तेमाल किया है जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 7.1 से 7.4 में वर्णित है।
इंड एएस 114	विनियामक आस्थगित लेखे	जैसा कि इंड एएस 114 के अंतर्गत अनुमत्य है कंपनी पिछली जीएएपी दर नियामक लेखांकन नीति को जारी रखे हुए है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 22.1 में इसका ब्यौरा दिया गया है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व	यह मानक 01 अप्रैल, 2018 से लागू होगा। निष्पादन दायित्व के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए मानकों के अंतर्गत जोड़ी गई शर्तें समीक्षाधीन हैं।

37 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 214393 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 253459 लाख) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रू. में)

			2017-18	2016-17
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम/अदालती मामले*			
	मूलधन			
	सरकारी/सीपीएसई		**62186**	**49925**
	अन्य		**101980**	**101587**
	कुल	**क**	**164166**	**151512**
	ब्याज			
	सरकारी/सीपीएसई		**2465**	**10365**
	अन्य		**176730**	**161304**
	कुल	**ख**	**179195**	**171669**
	कुल योग	**क+ख**	**343361**	**323181**
(क)	कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी		**25470**	**25470**
(ख)	विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गई तथा कंपनी द्वारा जमा की गई लेकिन विवादित हैं और अपीलों के अन्तर्गत है।		**351**	**351**
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है।		**708**	**639**
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)		**115**	**115**

(*) आकस्मिक देयताओं में कंपनी के विरुद्ध वे माध्यस्थम एवार्ड शामिल हैं जो कंपनी की अपील और याचिकाओं के आधार पर उच्च न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित हैं।

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। टिप्पणी 17 एवं 23 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 9649 लाख रुपये (गत वर्ष 6386 लाख रुपये) जमा राशि के अतिरिक्त कंपनी ने 106 लाख रुपये एवं 606 लाख रूपये (गत वर्ष 141 लाख रूपये तथा 1033 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 40 लाख रू./(गत वर्ष 10 लाख रूपये) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 14572 लाख रु. (गत वर्ष 13498 लाख रु.) है।

5. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर सिविल सोयम भूमि का विलेख वित्त वर्ष 2016–17 तक कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में भूमि पट्टा विलेख चालू वित्त वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि दाखिल–खारिज नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर

अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का नाम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर (गत वर्ष 2547.83 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1937.48 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के वर्तनाम नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 610.35 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो काम्पलैक्स के निर्माण की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 09 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iv) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मलबे की डंपिंग के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार पर चोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि का हक विलेख प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 29.12.2016 के पत्र संख्या 8बी/यू.पी.सी/09/2017/2015/एमएफ/1516 के बाद उत्तराखंड सरकार ने चोपड़ा गाँव की 4.668 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उपरोक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख प्रक्रियाधीन है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 25 फ्लैट (गत वर्ष 27 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौतियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारणों से टिहरी पीएसपी की धीमी प्रगति के कारण 31.3.2018 तक की स्थिति के अनुसार एसबीआई के नेतृत्व वाले व्यापार संघ (कंसोर्टियम) से 1,50,000 लाख के संस्वीकृत ऋण के स्थान पर 1,22,800 लाख रु. आहरित किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 31 दिसंबर, 2020 तक प्रारंभ (कमीशन) हो जाने की संभावना है जबकि मूल रूप से निर्धारित की गई समय सूची फरवरी, 2016 थी। कंपनी ने बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा बढ़ाने का अनुरोध किया। बैंक ने ऋण प्राप्त करने की सुविधा की अवधि नहीं बढ़ाई, जिससे कंपनी को दिनांक 29.03.2018 को 61400 लाख रु. और शेष राशि उसके बाद चुकानी पड़ी। बकाया राशि को चालू देयता के रूप में मान्य और वर्गीकृत किया गया है।

(ख) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारणों से वीपीएचईपी की धीमी प्रगति के कारण 31 मार्च, 2018 तक स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 94.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर आहरित किए जा चुके हैं। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। कंपनी ने मूल रूप से निर्धारित समय–सूची दिसंबर, 2017 के स्थान पर दिसम्बर, 2020 तक वितरण समय–सूची बढ़ाने का और तद्नुसार वितरण समय– सूची को पुनर्निर्धारित का अनुरोध किया। विश्व बैंक ने जून, 2019 तक वितरण समय– सूची बढ़ा दी है। चुकौती की अवधि के पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए ऋण सेवा (डेबिट सर्विसिंग) मूल संविदा शर्तों के अनुसार दी गई है और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान चुकौती की राशि को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. संबद्ध पक्षकारों के प्रकटन

भारतीय लेखांकन मानक 24 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' इस प्रकार है–

क) संबद्ध पक्षकारों की सूची:

i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

1. श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. के. बिस्वास*	पूर्व निदेशक (कार्मिक)
3. श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
4. श्री एच. एल. अरोड़ा**	निदेशक (तकनीकी)
5. श्री विजय गोयल***	निदेशक (कार्मिक)
6. सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव

(*) 30.01.2018 तक

(**) 22.12.2017 से

(***) 26.03.2018 से

ii) अन्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत गैर लाभग्राही कंपनी प्रायोजित सोसाइटी "सेवा–टीएचडीसी" मौजूद है।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए 'सेवा'–टीएचडीसी को 1620 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 167 लाख रु. (गत वर्ष 246 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां – शून्य

9. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और डायल्यूटेड

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डायल्यूटेड) इस प्रकार हैं:

	2017-18	2016-17
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में मे हुआ है (लाख रुपये)	₹ 77874	₹ 71123
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया	बेसिक : 36181261.38 डायल्यूटेड : 36182301.11	बेसिक : 35988817.00 डायल्यूटेड : 35988817.00
प्रति शेयर आय रुपये बेसिक डायल्यूटेड	₹ 215.24 ₹ 215.23	₹ 198.85 ₹ 198.85
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1000	₹ 1000

10. कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस–12 ''आय कर'' के अनुपालन में रू. 5278 लाख (गत वर्ष 8286 लाख रुपये) की आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि को लाभ एवं हानि विवरण में बुक किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		31.03.2018	31.03.2017
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	59703	51988
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487
iii)	ओसीआई को वगीकृत वास्तविक लाभ/हानि	338	143
iv)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप मे माना जाए	6837	6837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	11626	12453
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6516	8321
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**85507**	**80229**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	- 472	- 472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	- 1	- 1
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	- 124	- 124
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	**2975**	**2975**
	निवल आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क)–(ख)	**82532**	**77254**

11. (i) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन**

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	लाख रूपयों में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल एवं पेय जल	191
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	749
03	सामाजिक कल्याण	26
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	145
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	196
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	245
07	खेलकूद को बढ़ावा	20
08	प्रौद्योगिकी की वृद्धि में योगदान	1
09	अन्य	48
	कुल	**1621**

**टीएचडीसीआईएल के रू. 1620 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू. 8 लाख से "सेवा–टीएचडीसी" द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1617 लाख रू. (गत वर्ष 1528 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू. 1620 लाख (गत वर्ष 1528 लाख रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) कंपनी ने वर्ष 2017–2018 के दौरान नकद रूप से तथा कंपनी द्वारा सेवा–टीएचडीसी को खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है–

(रू. लाख में)

		नकद राशि	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0	0	0
(ii)	(i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	1620	0	1620

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन

कंपनी ने वर्ष 2017–18 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 482 लाख रू. (पूँजी 244 लाख रू. और राजस्व 283 लाख रू.) गत वर्ष 434 लाख रू. (पूँजी शून्य), राजस्व 434 लाख रू. व्यय किया,

12. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को 41 लाख रू. (गत वर्ष 01 लाख रू.) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया। शेष बकाया 45 दिनों से कम अवधि का है।

13. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों के लिए परिसर और वाहनों पट्टे/किराए पर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे किराये के भुगतान के लिए राशि में 952 लाख रू. (गत वर्ष 890 लाख) शामिल है।

14. i) कंपनी परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य रू. 'शून्य' (पिछले वर्ष रू. शून्य) के आधार पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो वर्तमान बाध्यता मूल्य **2528 लाख रू.** (पिछले वर्ष **208 लाख रू.**) की बढोत्तरी बहियों में प्रावधान की गई है।

ii) ''कर्मचारियों के हितलाभ'' के संबंध में इंड एएस–19 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2018 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2018 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी – 1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
समाप्ति सूची	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	7.60%	7.50%	7.75%	8.0%	8.50%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.00%	8.0%	6.50%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17003 {14638}	5398 {3714}	12388 {10330}	5639 {4598}	862 {805}
ब्याज लागत	1275 {1134}	337 {288}	929 {801}	423 {356}	65 {62}
पूर्व सेवा लागत	{1145}				
चालू सेवा लागत	684 {796}	213 {307}	402 {573}	221 {168}	73 {50}
लाभ का भुगतान	(691) {(574)}	(3628) {(579)}	(223) {176}	(135) {(127)}	(80) {(93)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(785) {137}	452 {1668}	(4615) {861}	122 {643}	(28) {38}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}

सारणी–3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
गैर वित्त पोषित लैब / प्रावधान	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता निवल देयता	17486 {17003}	2772 {5398}	8881 {12388}	6270 {5639}	892 {862}

सारणी – 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	अर्जित अवकाश (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अन्य–बैगेज भत्ता / लंबी सेवा अवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	684 {796}	213 {307}	402 {573}	221 {168}	73 {50}
सेवा पूर्व लागत	{1145}				
ब्याज लागत	1275 {1134}	337 {288}	929 {801}	423 {356}	65 {62}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(785) {137}	452 {1668}	(4616) {861}	122 {643}	(28) {38}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	1959 {3076}	1003 {2263}	(3284) {2234}	644.05 {525}	138 {112}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17486	17003	14638	13741	11049
बीमांकिक (लाभ) / हानि				2266	593
बीमांकिक (लाभ) / हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(785)	(137)	(205)		
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1959	3076	1597	3880	1917

अर्जित अवकाश (ईएल)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2772	5398	3714	5875	4909
बीमांकिक (लाभ) / हानि	452	1668	835	2131	938
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1003	2263	1521	2876	1562

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	8881	12388	10330	9382	4664
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(4616)	861	(1)	4288	(467)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(3284)	2234	1242	5147	146

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6270	5639	4598	3692	2326
बीमांकिक (लाभ)/हानि	122	643	616	1118	118
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यताप्राप्त	122	643	616	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	644	525	1047	1433	357

अन्य बैगेज भत्ता/लंबी सेवा अवार्ड/एफबीएस	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	892	862	805	735	632
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28)	38	12	64	(86)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(28)	38	12		
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	138	112	149	118	5

15. भारत सरकार द्वारा गठित तीसरी पीआरसी की सिफारिशों पर विचार कर कंपनी के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 31.03.2018 तक 10337 लाख रू. (पिछले वर्ष 719 लाख रू.) की राशि को हिसाब में लिया गया है।

16. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर/जीएसटी सहित)

रूपए लाख में

		2017-18	2016-17
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानूनी मामलों के लिए	------	------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	------	------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	6	1
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

17. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नही**	लागू नही**
(ii)	सस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1513 मे.वा.	1513 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)	2981 मे.वा.	2981 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक सूचना (मिलियन यूनिटों में)		
	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	**4540.939605**	**4430.000424**
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण हानियों के बाद निवल)	**4004.091416**	**3890.6502761**

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है; अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	20	14
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	236	293
	प्रबंधन और प्रतिबद्धता शुल्क		125.00
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	1315	
	माल का आयात	2571	12517
	अन्य (अग्रिम)		
	सम्मेलन के लिए नामांकन		
	साफ्टवेयर की खरीद		
	अन्य		
	कुल	**4142.00**	**12949.00**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	2602	13087
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**2602**	**13087**
घ	**उपभोज्य घटकों, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रूपए में)	3	68
	(%)	0.32	14
ii)	देशी (लाख रूपए में)	915	444
	(%)	99.68	86
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

19. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2018	31.03.2017
नकदी तथा नकदी समतुल्य	9	6102	6707
लियन के तहत बैंक शेष	10	37	25037
ओवर ड्राफ्ट शेष	21	- 64663	- 38724
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		- 58524	- 6980

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इंडएएस 7 "नकदी प्रवाह विवरण" को अधिसूचित करते हुए कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किए हैं। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा नकद प्रवाह के आईएएस 7 विवरण में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू हैं और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकदी प्रवाह और गैर नकदी परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में प्रारंभिक और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव दिया गया है।

(रूपए लाखों में)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह 2017-18	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	359888		363088	3200	वीपीएचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी
दीर्घकालिक उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	441688		342813	98875	विनिमय दर 1343 सहित आहरित ऋण, ऋण पुनर्अदायगी 100218, निवल परिवर्तन 98875
ऋणों पर ब्याज संदत्त वित्तीय लागत घटाएँ पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी		37359 (14572)		(22787)	लाभ और हानि को प्रभारित
भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश वितरण कर				(40345)	2016–17 के लिए अंतिम लाभांश एवं 2017–18 के लिए अंतरिम लाभांश
वित्त पोषण से निवल नकदी प्रवाह				(158807)	

20. (क) व्यापार प्राप्य और भुगतान देनदारियों जमा, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं/अन्य को अग्रिम जिसमें पूँजी व्यय और ठेकेदारों को जारी सामग्री शामिल है, के संबंध में प्रत्येक पक्षकार से 5 लाख रू. या इससे ऊपर के बकाया शेष के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर को पुष्टिकरण मांगा जाता है। 31 दिसम्बर, 2017 को शेष तथा 31.03.2018 को बकाया की स्थिति की पुष्टि निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2017 को			'ख' से पुष्टि	31.03.2018 को
		< ₹5 लाख	> ₹5 लाख	कुल रु. लाख में		
		क	ख	ग=क+ख		
1	व्यापार प्राप्य जिसमें विनायामक कर्जदार शामिल नहीं है	0	170392	170392	169924	130726
2	आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और छोटे जमाकर्ताओं को अग्रिम	90	89265	89355	83109	83610
3	प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण धनराशि, व्यापार प्राप्य और जमाकर्ता	1082	14256	15338	10317	18260

ख) प्रबंधन की राय में अपुष्ट शेष राशियों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा।

21. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
1	'सामान्य' के संबंध में लेखांकन नीति संख्या में संशोधन। शब्द **''कुछ निर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल, 2016 से इंडएएस अनिवार्य बना दिए गए हैं''** जिसे **01 अप्रैल, 2016** से प्रतिस्थापित किया गया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया।
2	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 3.5 में संशोधन। शब्द **(निवल निपटान आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के अनुसार परिकलित)** जोड़े गए हैं	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया।
3	पूँजी कार्य प्रगति पर से संबंधित लेखाकरण नीति संख्या 4.3 में संशोधन। **''अवर्गीकृत भूमि''** शब्दों को **''जलमग्न भूमि''** से प्रतिस्थापित किया गया है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। लेखा परीक्षा की अभ्युक्तियाँ और सीईआरसी विनियम ध्यान में रख कर संशोधन किया गया है।
4	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित लेखाकरण नीति 8.4 में संशोधन **''प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ईआईआर की गणना की जाती है''** शब्द जोड़े गए हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।
5	वित्तीय देनदारियों से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 10.4.1 में संशोधन। **''प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ईआईआर की गणना की जाती है''** शब्द जोड़े गए हैं।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
6	सरकारी अनुदानों से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 11.1 में संशोधन। **''पूँजी रिजर्व''** शब्द को **"गैर चालू देयता के अंतर्गत गैर प्रचालनरत आस्थगित आय"** से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।	इंडएएस के अनुपालन में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से सिंचाई घटक का परिशोधन किया जाता है। 6822 लाख रु. को आस्थगित राजस्व और सिंचाई घटक के संबंध में मूल्यह्रास के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए निवल वित्तीय प्रभाव नहीं है।
7	आय कर से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 19.2.3 में संशोधन। **''आस्थगित कर लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य मुद्दों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य होता है''** शब्द जोड़े गए है।	कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है।

22. चालू वर्ष के ऑकड़ों के साथ ऑकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
संदस्यता सं. 026692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06500954

(डी. वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 073695

दिनांकः 11.08.2018
स्थान : ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामलों जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं।

उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2018 को;

(ख) हानि व लाभ विवरणों और व्यापक आय सहित के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

(घ) इक्विटी में बदलाव के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इंक्विटी में बदलाव।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आर्षित करना चाहते हैं–

क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 27.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 13 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 2, जिसमें दावे/माध्यस्थम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31.03.2018 को बकाया शेष राशि की पुष्टि से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 20 जो इसकी पुष्टि वर्ष में एक बार 31 दिसंबर, 2017 को करने के संबंध में है।

(घ) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी परियोजनाएं पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 का पैरा 7

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **'अनुलग्नक क'** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **'अनुलग्नक–ख'** में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण और नकदी प्रवाह विवरण इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो लेखा विवरणों के अनुरुप है।

(घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक कारगरता के संबंध में **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में

शामिल किए जाने वाले अन्य मामले में हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पंष्टीकरण के अनुसार है–

i. कंपनी ने इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित कानूनी मुकदमों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 37.2 को देखें।

ii. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी ऐसी सामग्री की नहीं हैं जिसमें हानि की संभावना हो।

iii. कंपनी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

पी डी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं "शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते है कि:–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई जिसका लेखा–बही में उपयुक्त रुप से निपटान न किया गया हो। हमारी राय में कंपनी के आकार एक व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 37.5 (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गयी है टिप्पणी 37.5(iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 37.5 (iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे. फ्री–होल्ड भूमि एवं 4.668 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

ii. माल सूचियों की वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2018 को बाकी नहीं थी। जैसा

कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित सेवा कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	14.86	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से जुटाए धन का, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं.: 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांक: 11.08.2018

''अनुलग्नक–ख''

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख का अनुमति है। यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम से प्राप्त की गई। टिप्पणी क्रमांक 37.5 (ii) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गयी है टिप्पणी 37.5(iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वेयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 37.5 (iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे . फ्री–होल्ड भूमि एवं 4.668 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु मामला राजस्व प्राधिकारियों के पास है।	शून्य
2.	कृपया ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण हैं। यदि हां तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि बताएं।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पंष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3.	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2018 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलेखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2018 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001049सी

(पीयूष अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं. 073695

स्थानः ऋषिकेश
दिनांकः 11.08.2018

No.MAB-III/Rep/01-94/A/cs-THDC/2018-19/602

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-III
New Delhi

दिनांक-10/09/2018

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएँ।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

ह./–
(राज कुमार)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, सी.ए.जी. भवन एनेक्सी, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002
Tel. : 011-23239213, 23239235, Fax : 011-23239211, E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कोई उल्लेखनीय तत्व नहीं आया है जिसके कारण इस पर या अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ भी अनुपूरक टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

प्रतिहस्ताक्षरित
(राज कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 सितंबर, 2018